UPRB010016452026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–668/2026

अजय दीक्षित उर्फ शुभम आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र ललित दीक्षित निवासी एस०टी० पी०चौराहा, निकट चक्की, थाना बी०बी०टी०जनपद लखनऊ ।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

18–03–2026

आवेदक–अभियुक्त **अजय दीक्षित उर्फ शुभम** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या **352/2025**, धारा–**61(2),309(4),317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **गुरूबक्शगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– दिनांक 01–11–2025 को समय करीब 12.45 बजे दिन रायबरेली से मोटर साइकिल नं० UP 33 AM 5764 स्पेलण्डर प्लस से मय पत्नी गौसिया के घर वापस आ रहा था जैसे ही वादी बथुआ खास स्कूल नहरिया के पास पहुंचा तो पीछे से दो अज्ञात मोटर साइकिल अपाची में सवार वादी की पत्नी की पर्स को झपट्टा मार कर ले लिया । वादी ने शोर शराबा किया परन्तु अज्ञात अपाची मोटर साइकिल सवार जतुआ टप्पा की तरफ तेजी से भाग गये। वादी की पत्नी के बैग में 4000/रूपये नगद एक जोड़ी चांदी की पायल तथा अन्य सामान कागजात आधार कार्ड, पास बुक थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में बाद विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है जिसे स्थानीय थाना पुलिस ने गुडवर्क पाने हेतु अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में प्रार्थी को अभियुक्त बनाकर फर्जी बरामदगी दिखाते हुए जेल भेज दिया। जनपद बाराबंकी में भी मुकदमा पंजीकृत था जहां प्रार्थी/अभियुक्त को तलब कर लिया गया जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त जमानत स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है उसने किसी भी प्रकार कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को घर से उठाकर फर्जी अभियोग में मुकदमा अपराध संख्या 998/2025 अन्तर्गत धारा 303 (2) बी० एन० एस० व मुकदमा अपराध संख्या 1010/2025 अन्तर्गत धारा 109 (1). 3 (5) बी०

एन० एस० व 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दिनांक 06.11.2025 को बाराबंकी जिला कारागार में निरूद्ध कर दिया गया तथा दिनांक 28.11.2025 को उक्त अभियोगों में मान्नीय न्यायालय श्रीमान् जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बाराबंकी द्वारा जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा साधा शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो अपने परिवार का मेहनत मजदूरी करते हुए पालन पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय पुलिस गुरुबक्शगंज जनपद रायबरेली द्वारा गुडवर्क दिखाने के चक्कर में अज्ञात नाम से दर्ज मुकदमे का अभियुक्त अभियोजित कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से खूब सोच समझकर विधि ज्ञात प्राप्त कर दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई लेना देना अथवा वास्ता व सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम पुलिस जांच में बढ़ाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के नाम से दर्ज करायी गयी है। जनता का कोई व्यक्ति स्वतन्त्र साक्षी नही है और न ही किसी ने प्रार्थी/अभियुक्त को लूट करते हुए देखा है और न ही कोई वैधानिक बरामदगी पायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.11.2025 से जिला जेल बराबंकी में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा कथित लूट की घटना कारित की गयी है। आवेदक–अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। विवेचना के अनुक्रम में उनकी गिरफ्तारी हुयी । उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव के अनुसार वादी द्वारा दिनांक 01–11–2025, समय 12–45 बजे की कथित लूट की घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02–11–2025 को समय 21.46 बजे धारा 309(4)BNS के अन्तर्गत अज्ञात दो अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। तदोपरान्त प्रार्थी–अभियुक्त की गिरफ्तारी जनपद बाराबंकी में होने तथा वहाँ पर मु०अप०सं० 998/2025 अन्तर्गत धारा 303(2)BNS व मु०अप०सं० 1010/2025 अन्तर्गत धारा 109(1),3(5) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम के अपराधों में गिरफ्तारी के उपरान्त प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में लूट के 4000/रूपये व एक जोड़ी पायल की बरामदगी दर्शाते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त को बाराबंकी के उपरोक्त सभी प्रकरण में जमानत पर होना बताया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्षी बरामदगी व गिरफ्तारी के समय का संदर्भित नही किया गया है और न ही बरामद रूपये 4000/ एवं पायल के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य एकत्र किया गया है। सह अभियुक्त रघुवीर पाण्डेय का जमानत प्रार्थनापत्र इसी न्यायालय के आदेश दिनांकित 10–12–2025 से स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध समान अभियोग है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है। आवेदक–अभियुक्त **अजय**

दीक्षित उर्फ शुभम को अपराध संख्या 352/2025, धारा–61(2),309(4),317(2) **भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **गुरूबक्शगंज,** जिला **रायबरेली** मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा।

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18–03–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.19 10:21:49 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Rebareli